

मांग संख्या 34
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

फिजिकल रेफरल रिहेबिलीटेशन सेन्टर माना के लिए मशीन उपकरण क्रय हेतु ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 1

दंतेवाड़ा जिले में श्रवण बाधित बालक/बालिकाओं के लिए विद्यालय के भवन निर्माण हेतु ₹ 48.00 लाख एवं राजनांदगांव जिले में संचालित शासकीय बौद्धिक मंदता वाली बालिकाओं के विशेष विद्यालय हेतु भवन निर्माण पर ₹ 100.00 लाख इस प्रकार कुल ₹148.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,48,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1 से 3

श्रवण निःशक्तता विद्यालय धमतरी के उन्नयन हेतु ₹ 55.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 55,00,000 प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 80
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

सुखद सहारा पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन में प्रतिहितग्राही प्रतिमाह ₹ 50 की वृद्धि किए जाने हेतु ₹ 1152.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 11,52,00,000 प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 2

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिहितग्राही प्रतिमाह ₹ 50 की वृद्धि किए जाने हेतु ₹ 6900.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 69,00,00,000 प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 81
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

नगरीय निकाय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बायोमीट्रिक पद्धति से भुगतान हेतु ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 2

सुखद सहारा पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन में प्रतिहितग्राही प्रतिमाह ₹ 50 की वृद्धि किए जाने हेतु ₹ 180.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,80,00,000 प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 3

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिहितग्राही प्रतिमाह ₹ 50 की वृद्धि किए जाने हेतु ₹ 653.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,53,00,000 प्रावधान किया गया है।

मद कर्मांक 4

सुखद सहारा पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन में प्रतिहितग्राही प्रतिमाह ₹ 50 की वृद्धि किए जाने हेतु ₹ 90.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 90,00,000 प्रावधान किया गया है।

मद कर्मांक 5

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिहितग्राही प्रतिमाह ₹ 50 की वृद्धि किए जाने हेतु ₹ 412.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,12,00,000 प्रावधान किया गया है।

मद कर्मांक 6

सुखद सहारा पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन में प्रतिहितग्राही प्रतिमाह ₹ 50 की वृद्धि किए जाने हेतु ₹ 90.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 90,00,000 प्रावधान किया गया है।

मद कर्मांक 7

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिहितग्राही प्रतिमाह ₹ 50 की वृद्धि किए जाने हेतु ₹ 436.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,36,00,000 प्रावधान किया गया है।